

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-90/2021 - 1377

/पटना, दिनांक- 23/5/2021

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह बि० प्र० से०
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, कटिहार के अधीन कटिहार प्रखंडान्तर्गत दो पथों यथा (i) Budhel to Maniya Railway Station एवं (ii) Haflaganj Atirikta Prathmik Swasthiya Kendra to Mathkhua Yadav Tola via Mahadalit Tola तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई क्रमशः 0.945 कि०मी० एवं 0.750 कि०मी० निर्माण की राशि रु० 73.678 लाख एवं रु० 65.038 लाख, कन्टिजेन्सी की राशि रु० 01.658 लाख एवं रु० 01.463 लाख, पंचवर्षीय अनुस्क्षण की राशि रु० 10.278 लाख एवं रु० 6.328 लाख अर्थात् कुल राशि रु० 85.614 + 72.829 लाख = रु० 158.443 लाख, (एक करोड़ अन्ठावन लाख चौवालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र है, की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, कटिहार के अधीन कटिहार प्रखंडान्तर्गत दो पथों यथा (i) Budhel to Maniya Railway Station एवं (ii) Haflaganj Atirikta Prathmik Swasthiya Kendra to Mathkhua Yadav Tola via Mahadalit Tola तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई क्रमशः 0.945 कि०मी० एवं 0.750 कि०मी० निर्माण की राशि रु० 73.678 लाख एवं रु० 65.038 लाख, कन्टिजेन्सी की राशि रु० 01.658 लाख एवं रु० 01.463 लाख, पंचवर्षीय अनुस्क्षण की राशि रु० 10.278 लाख एवं रु० 6.328 लाख अर्थात् कुल राशि रु० 85.614 + 72.829 लाख = रु० 158.443 लाख, (एक करोड़ अन्ठावन लाख चौवालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

परिशिष्ट-1

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	स्कीम का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुस्क्षण की राशि (लाख में)	कन्टिजेन्सी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Katihar	Katihar	Katihar	Budhel to Maniya Railway Station	0.945	73.678	10.278	01.658	85.614
2	Katihar	Katihar	Katihar	Haflaganj Atirikta Prathmik Swasthiya Kendra to Mathkhua Yadav Tola via Mahadalit Tola	0.750	65.038	06.328	01.463	72.829
		Total			01.695	138.716	16.606	03.121	158.443

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड-37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भातक प्रातवदन प्रत्येक माह के पांच तारख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णिया एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०-मु०अ०-4 (मु०) रा०यो० नाबार्ड-03-90/2021 के पृ० सं०-03/टि० पर प्राप्त है।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०-मु०अ०-4 (मु०) रा०यो० नाबार्ड-03-90/2021 के पृ० सं०- /टि० पर प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-मु०अ०-4 (मु०) रा०यो० नाबार्ड-03-90/2021 के पृ० सं०- /टि० पर दिनांक को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

कृष्ण मोहन सिंह
उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-90/2021 - 1377

/पटना, दिनांक- 23/5/21

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-90/2021 - 1377

/पटना, दिनांक- 23/5/21

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-90/2021 - 1377

/पटना, दिनांक- 23/5/21

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, कटिहार/उप विकास, आयुक्त, कटिहार/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-3, पटना ग्रा० का० वि०/मु०अ०-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य प्रमंडल, कटिहार/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पौचवीं मंजिल) डॉक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव